द्वादश माला, खंड 10, अंक 24

गुरुवार, 22 अप्रैल, 1999
2 वैशाख, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 25.8.99

सत्यमेव जयते

(खण्ड 10 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे०एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 24, गुरुवार, 22 अप्रैल, 1999/2 वैशाख, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
समितियों के प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	6
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	6-7
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
तेरहवें से बाईसवां प्रतिवेदन.	7-8
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
सोलहवें से उन्नीसवां प्रतिवेदन	8
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	8
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
सोलहवें से इक्कीसवां प्रतिवेदन	9
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
आठवें से दसवां प्रतिवेदन	9-10
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन	10
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
दसवें से बारहवां प्रतिवेदन	10
रेल संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	11
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
इक्कीसवें से उनतीसवां प्रतिवेदन	11-12
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
अड़तीसवें से चालीवां प्रतिवेदन	12
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
चौवनवें से छप्पनवां प्रतिवेदन	12
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
बयासीवें से अट्ठासीवां प्रतिवेदन	13
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
तीसवें से बत्तीसवां प्रतिवेदन	13-14

विषय कॉलम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

चौसठवें से सत्तरवां प्रतिवेदन 14

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

सैंतीसवें से उनतालीसवां प्रतिवेदन 14

बजट (रेल)—अनुदानों की मांगें (1999-2000) 14-16

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक—*पुर:स्थापित*

श्री नीतीश कुमार 17

खंड 2, 3 और 1 17-18

पारित करने के लिए प्रस्ताव 18

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें (1999-2000)

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 18-29

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक—*पुर:स्थापित*

श्री यशवन्त सिन्हा 29

खंड 2 से 4 और 1 30

पारित करने के लिए प्रस्ताव 30

वित्त विधेयक, 1999

श्री यशवन्त सिन्हा 30

खंड 2, 139 और 1 31

पारित करने के लिए प्रस्ताव 31

लोक सभा

गुरुवार, 22 अप्रैल, 1999/2 वैशाख, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आशा है कि आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देंगे ... *(व्यवधान)*

श्री आर० मुथैया (पेरियाकुलम) : मैंने सूचना दी है *(व्यवधान)*

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मुझे आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब विश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद चल रहा था तो मैंने कुछ विशेष खबरें पढ़ी थीं और इस संदर्भ में मैंने कहा कि मैंने उन पत्रों को उस दिन 10.30 बजे महासचिव के कार्यालय में दे दिया था। दुर्भाग्यवश सभा-पटल पर सचिवालय के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें वे पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरे विरुद्ध अनेक आरोप लगाए गए कि मैंने झूठ बोला है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने रुख पर कायम हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी प्रतिष्ठा की खातिर रिकार्ड ठीक कराएं।

अध्यक्ष महोदय : यह सत्य है कि उक्त दस्तावेजों के साथ आपका पत्र मेरे कार्यालय को प्राप्त हुआ था। मैं रिकार्ड ठीक कराने के लिए कह रहा हूं, मुझे आशा है आप इससे संतुष्ट होंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ... *(व्यवधान)* आपने आरोप लगाए।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : आप ...* व्यक्ति है।

[हिन्दी]

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको ...* आनी चाहिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि किसी को ...* आनी चाहिए, तो वह आपको आनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको लिट्टे पर गर्व है आपको स्वयं पर ...* *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो श्री सुदीप बंध्योपाध्याय कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं इस सभा की माननीया सदस्या कुमारी मायावती के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का मामला उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उस पत्र की पाठ्यसामग्री को पढ़ता हूं जो मैंने आपको लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंधोपाध्याय, आपने सूचना दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने विशेषाधिकार की सूचना दी है। यह मेरे विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइए।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : क्या मैं इसे स्पष्ट कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइए।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : मुझे इसे स्पष्ट करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना मेरे विचाराधीन है कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो श्री मुथैया कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.04 बजे

इस समय श्री अकबर अहमद आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

इस समय श्री अकबर अहमद अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंधोपाध्याय, मुझे आपकी सूचना प्राप्त हुई है। यह मेरे विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : मैंने भी ब्रीच आँफ़ प्रिविलेज का नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय उस पर अपनी रूलिंग दें *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, बैठ जाइए। यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : अध्यक्ष महोदय, बड़ी मानसिक व्यथा और तनाव के साथ जो पिछले दो दिनों से यहां व्याप्त है, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : बड़े मानसिक व्यथा के साथ मैं इस मुद्दे को आपके विचारार्थ उठा रहा हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मुथैया को बोलने की अनुमति दी है आपको नहीं।

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : महोदय, जब 17.4.99 को यहां विश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था मैंने उस प्रस्ताव के विपक्ष में मत दिया था। अपने स्थान पर बैठकर मैंने लाल बटन और नियंत्रण बटन को दबाया, यह तुरंत मतदान सूचक पट्ट पर मेरी विभाजन संख्या 101 के सम्मुख भी दर्शाया गया था कि लाल बल्ब जल रहा था। पहली घंटी के बजने से दूसरी घंटी के समाप्त होने के बाद तक भी जब उस दिन सारी प्रक्रिया हो रही थी मेरी विभाजन संख्या के सम्मुख लाल बत्ती थी। वह दर्शाता है कि उस दिन मैंने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था किंतु मैं नहीं जानता कि कंप्यूटर पेपर को क्या हुआ। *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : वे पर्ची से इसे ठीक कर सकते थे। *(व्यवधान)*

श्री आर० मुथैया : महोदय, मुझे बताया गया कि मेरी विभाजन संख्या 101 के सम्मुख मतदान नहीं रिकार्ड किया गया है। जहां तक इस सभा और माननीय सदस्यों का संबंध है यदि मतदान सूचक पट्ट पर सही संकेत हो तो वह दर्शाता है कि सदस्य ने तुरंत मत दे दिया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : ऐसा नहीं है *(व्यवधान)* दुबारा से वोटिंग करा ली जाए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर० मुथैया : यह मेरा विशेषाधिकार है। यदि मतदान सूचक पट्ट पर मेरी विभाजन संख्या के सम्मुख लाल संकेत नहीं होता तो मैं पर्ची मांगता और पर्ची के माध्यम से मतदान करता। चूंकि मेरी विभाजन संख्या के सम्मुख लाल बत्ती जल रही थी अतः मैंने ऐसा नहीं किया *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : उन्होंने पर्ची को अपनी जेब में रख दिया था।

श्री आर० मुथैया : अब इसी बात पर आ रहा हूं। मैंने पर्ची नहीं मांगी और न ही कर्मचारियों ने मुझे पर्ची दी, किंतु तमिलनाडु में कुछ स्थानीय समाचारपत्रों और सब टी.वी. में वे प्रचार कर रहे हैं * पूरे तमिलनाडु में वे प्रचार कर रहे हैं कि मैंने कर्मचारियों से पर्ची ली थी, उसे अपनी जेब में रखा और यहां से बाहर चला गया, यह कैसे संभव है ? मतदान सूचक पट्ट पर लाल बत्ती थी, न तो मैंने पर्ची मांगी न ही कर्मचारियों ने मुझे पर्ची दी। अतः जब मतदान सूचक पट्ट पर लाल बत्ती जल रही थी तो वह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री टी०आर० बालू : आपको इसकी जांच करनी होगी *(व्यवधान)*

श्री आर० मुथैया : उस दिन विडियो क्लिपिंग ली गई होगी। मेरे विचार से आपने विडियो क्लिपिंग देखी होगी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : उस विडियो क्लिपिंग से कोई भी देख सकता है कि मेरी विभाजन संख्या 101 के आगे लाल बत्ती दिखाई दे रही थी *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : महोदय, आप इसकी जांच करने के लिए समिति का गठन कर सकते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वह अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : अतः मैंने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। इस संदर्भ में मैं आपसे अपील करता हूं क्योंकि इसमें अपनी पार्टी और मतदाताओं के प्रति मेरी ईमानदारी और निष्ठा अन्तर्निहित है। *(व्यवधान)*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं अपील करता हूं कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : महोदय, इसकी जांच की जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री मुथैया, कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : महोदय, उस समय मेरी विभाजन संख्या के आगे लाल बत्ती दिखाई गई थी और आप विडियो क्लिपिंग भी देख सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री टी०आर० बालू : महोदय, आप इसकी जांच कराने के लिए समिति का गठन कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री आर० मुथैया : महोदय, आप देख सकते हैं कि मैंने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। मैंने श्री मुथैया को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : महोदय, आज के 'इंडियन एक्सप्रेस' में भी यह छपा है कि मैंने सचिवालय के कर्मचारी से स्लिप ली थी और उसे अपनी जेब में डाल दिया; मतदान पेटी में इसे डाले बिना मैं बाहर चला गया *(व्यवधान)* महोदय, क्या इस सदन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ? क्या यहां कोई मतदान पेटी है ? *(व्यवधान)* मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं *(व्यवधान)* मैंने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था जिसे मेरी विभाजन संख्या 101 के आगे उस दिन भली-भांति प्रतिबिम्बित किया गया था। यह ऐसा संकेत था कि मैंने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। महोदय, आप कृपया यह स्थिति स्पष्ट करें और मेरे हितों की रक्षा करें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : महोदय, आप इस सदन के अभिरक्षक हैं। इस सदन के बाहर भी मेरे हितों को काफ़ी क्षति पहुंचाई गई है, इसका मेरे भविष्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया स्थिति को स्पष्ट करें। *(व्यवधान)*

विद्युतमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : महोदय, मैं माननीय सदस्य की समस्या को समझता हूं यह अत्यन्त किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति है। मैं समझता हूं कि प्रक्रिया के अनुसार इसमें काउन्टर-चैक्स की काफी गुंजाइश रहती है। मैं यह भी समझता हूं कि फोटोग्राफ प्राय: बत्ती के मतदान प्रक्रिया की ली जाती हैं। मुझे यह भी मालूम है कि प्रक्रिया के अंतर्गत कम्प्यूटर भी उसी को रिकार्ड करते हैं। यदि किसी एक स्थान पर चूक होती है तो दूसरी जगह पर उसकी जांच की जा सकती है। मैं सचिवालय को अनुरोध करूंगा कि वह मामले की जांच करें क्योंकि इस समूचे अभियान से माननीय सदस्य की किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति बन गई है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, मुझे सदन में इस मामले को उठाने के साथ-साथ आपका अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है। आपको मालूम है कि आपने मुझसे भेंट भी की है और व्यक्तिगत रूप से मामले को उठाया है। मैंने निर्देश दिया है कि सचिवालय द्वारा मामले की विस्तृत संवीक्षा की जाए। जांच चल रही है।

मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही आपको इसका पता चल जाएगा।

पूर्वाह्न 11.12½ बजे

समितियों के प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : महोदय, मैं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर की गई कार्यवाही के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : महोदय, मैं मझगांव डाक लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के तैंतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की

[श्री मानवेन्द्र शाह]

गई कार्यवाही के संबंध में समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.13½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

तेरहवें से बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्री काकुलम) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

1. कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगें (1998-99) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में तेरहवां प्रतिवेदन।

2. कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगें (1998-99) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में चौदहवां प्रतिवेदन।

3. कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगें (1998-99) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

4. जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (1998-99) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधित सोलहवां प्रतिवेदन।

5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (1998-99) पर कृषि संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

6. कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) से संबंधित समिति का अठारहवां प्रतिवेदन।

7. कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन।

8. कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन।

9. जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन।

10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

सोलहवें से उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० करूणाकरण (तिरूअनन्तपुरम) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(एक) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

(दो) अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।

(तीन) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन।

(चार) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.14½ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं वर्ष 1999-2000 की विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

सोलहवें से इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई-दक्षिण) : मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(एक) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 1998-99) संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन

(दो) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य और व्यय विभाग) की अनुदानों की मांगों (1998-99) संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(तीन) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (1998-99) संबंध्री चौथे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी अठारवां प्रतिवेदन।

(चार) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(पांच) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य और व्यय विभाग) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(छः) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.15½ बजे

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

आठवें से दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

1. चीनी और खाद्य तेल विभाग (खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

2. खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग (खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

3. उपभोक्ता मामले विभाग (खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : बजट पास समझा जाए और चला जाए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कैसे हो सकता है, आपको पेशंस रखना चाहिए।

श्री लालू प्रसाद : पेशंस तो इतना रखा है कि 13 महीने हो गए, लेकिन क्वार्टर नहीं मिला, सड़क पर रह रहे हैं और फिर सड़क पर जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(एक) श्रम मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(दो) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.16½ बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

दसवें से बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

3. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

रेल संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री टी०आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : मैं रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें, 1999-2000 के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.17½ बजे

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवें से उनतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(एक) बंजर भूमि विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(दो) बंज़र भूमि विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में बाईसवां प्रतिवेदन।

(तीन) शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग (शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में तेईसवां प्रतिवेदन।

(चार) शहरी विकास विभाग (शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन।

(पांच) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(छह) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(सात) ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (बारहवीं लोक सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(आठ) ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

(नौ) शहरी विकास विभाग (शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

अड़तीसवें से चालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1. पूर्ति विभाग की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन;

2. वाणिज्य विभाग की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी उनतालीसवां प्रतिवेदन;

3. वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी चालीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.18½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

चौवनवें से छप्पनवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मोती लाल वोरा (राजनांदगांव) : महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1. गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी चौवनवां प्रतिवेदन।

2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी पचपनवां प्रतिवेदन।

3. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी छप्पनवां प्रतिवेदन।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : अध्यक्ष महोदय, इस समय इससे गंभीर मामला और क्या हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

पूर्वाह्न 11.19 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

बयासीवें से अठासीवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1. शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों पर बयासीवां प्रतिवेदन;
2. युवा कार्य और खेल विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों पर तिरासीवां प्रतिवेदन;
3. संस्कृति विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों पर चौरासीवां प्रतिवेदन;
4. महिला और बाल विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों पर पचासीवां प्रतिवेदन;
5. स्वास्थ्य विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों पर छियासीवां प्रतिवेदन;
6. परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों पर सतासीवां प्रतिवेदन;
7. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों पर अठासीवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.19½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

तीसवें से बत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटील (इरन्दोल) : मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

1. इस्पात विभाग (इस्पात और खान मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी तीसवां प्रतिवेदन।
2. खान विभाग (इस्पात और खान मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।
3. उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1999-2000) संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

चौसठवें से सत्तरवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्रमशः विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास; जैव प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी, अंतरिक्ष; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों और पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के चौसठवें, पैंसठवें, छियासठवें, सड़सठवें, अड़सठवें, उनहत्तरवें और सत्तरवें प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखती हूं।

पूर्वाह्न 11.20½ बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

सैंतीसवें से उनतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस (मुकुन्दपुरम्) : मैं पर्यटन, नागर विमानन और जल-भूतल परिवहन मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों (1999-2000) से संबंधित परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति का क्रमशः 37वां, 38वां और 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

बजट (रेल)—अनुदानों की मांगें* (1999-2000)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 19 अप्रैल, 1999 को आयोजित नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1999-2000 के लिए बजट (रेल) के

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

संबंध में अनुदानों की मांगों को बिना किसी चर्चा के पारित किया जाएगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाएं ताकि हम वर्ष 1999-2000 के लिए रेल बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों को तत्काल पारित कर सकें और सभा का समय व्यर्थ किए बिना अगली मद पर विचार-विमर्श कर सकें।

मुझे उम्मीद है कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, बिहार *(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : अध्यक्ष जी, बिहार में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1999-2000 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग सं.	मांग का नाम	13 मार्च 1999 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि
	1	2	3
		रु०	रु०
1.	रेलवे बोर्ड	6,57,50,000	32,87,50,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	32,75,83,000	163,79,17,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	237,80,75,000	1189,03,75,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण	480,96,52,000	2404,82,57,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	263,36,59,000	1316,82,92,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	485,15,51,000	2425,77,57,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	251,16,49,000	1255,82,45,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाफ और उपस्कर	427,38,51,000	2136,92,56,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	1725,16,90,000	3825,84,48,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	858,02,02,000	4290,10,09,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	188,53,90,000	942,69,49,000
12.	विविध संचालन व्यय	237,85,99,000	1189,29,95,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	552,32,82,000	2761,64,09,000
14.	निधियों में विनियोग	1016,10,83,000	5080,54,17,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,24,87,000	1909,83,13,000
16.	परिसंपत्तिया-खरीद, निर्माण और बदलाव		
	राजस्व	7,50,00,000	37,50,00,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	1987,74,32,000	9938,71,62,000
	रेलवे निधियां	821,38,83,000	4106,94,17,000
	जोड़	9584,08,18,000	45008,99,68,000

पूर्वाह्न 11.23 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, इसे ऐसे ही पास करा दीजिए *(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 22.4.99 में प्रकाशित

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लालू प्रसाद जी, हमें प्रक्रिया का पालन करना है। क्या ऐसा नहीं है ?

रेल मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष जी, इसमें मेरा एक संशोधन है कि जो विदेश से इंजन लिया गया है, उसमें घपला है। *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : जो विदेश से नेता ले रहे हों, उसके बारे में भी बता दीजिए। *(व्यवधान)* इंजन की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयीं।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री नीतीश कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.25 बजे

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें* (1999-2000)

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :"

1. कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 4;
2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 6;
3. नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 7;
4. खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8 से 10;
5. कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11;
6. वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13;

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

7. संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15;

8. रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 से 22;

9. पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23;

10. विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24;

11. वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 से 27, 29 और 30 तथा 32 से 37;

12. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित मांग संख्या 38;

13. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 39 से 41;

14. गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 से 46 और 99 से 103;

15. मानव संसाधन और विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 50;

16. उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 से 54;

17. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 55 और 56;

18. श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57;

19. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58 और 59 तथा 61;

20. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62;

21. संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63;

22. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64;

23. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65;

24. योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66 से 68;

25. ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69;

26. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70 से 72;

27. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73 से 75;

28. इस्पात और खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76 और 77;

29. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78 से 80;

30. वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81;

31. पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82;

32. शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83 से 86;

33. जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87;

34. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88;

35. परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 89 और 90;

36. इलेक्ट्रानिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 91;

37. महासागर विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 92;

38. अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 93

39. राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 95;

40. लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 96;

41. उप-राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 98;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1999-2000 के लिए मंत्रालयों/विभागों/ सचिवालयों से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	17 मार्च 1999 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि	986,47,00,000	3,20,00,000	4932,36,00,000	16,00,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	31,58,00,000	44,81,00,000	157,89,00,000	224,03,00,000

1	2	3		4	
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	201,99,00,000	—	1009,95,00,000	—
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	76,93,00,000	4,64,00,000	384,63,00,000	23,19,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
5.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	43,12,00,000	9,54,00,000	79,94,00,000	47,69,00,000
6.	उर्वरक विभाग	2641,65,00,000	76,58,00,000	6740,01,00,000	382,92,00,000
	नागर विमानन मंत्रालय				
7.	नागर विमानन मंत्रालय	110,09,00,000	7,71,00,000	62,47,00,000	38,54,00,000
	खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय				
8.	उपभोक्ता मामले विभाग	4,56,00,000	30,00,000	22,81,00,000	1,49,00,000
9.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग	2172,07,00,000	3,33,00,000	6060,37,00,000	16,67,00,000
10.	शर्करा एवं खाद्य तेल विभाग	117,35,00,000	34,40,00,000	586,77,00,000	171,99,00,000
	कोयला मंत्रालय				
11.	कोयला मंत्रालय	67,07,00,000	58,95,00,000	335,37,00,000	294,72,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय				
12.	वाणिज्य विभाग	182,97,00,000	12,52,00,000	914,82,00,000	62,58,00,000
13.	आपूर्ति विभाग	9,48,00,000	—	47,40,00,000	—
	संचार मंत्रालय				
14.	डाक विभाग	726,25,00,000	13,90,00,000	3631,23,00,000	69,52,00,000
15.	दूरसंचार विभाग	3510,34,00,000	2121,67,00,000	17551,67,00,000	10608,32,00,000
	रक्षा मंत्रालय				
16.	रक्षा मंत्रालय	565,15,00,000	6,58,00,000	2825,72,00,000	32,91,00,000
17.	रक्षा पेंशन	1224,73,00,000	—	6123,66,00,000	—
18.	रक्षा सेवा-थल सेना	4062,79,00,000	—	20313,97,00,000	
19.	रक्षा सेवा-नौ सेना	568,85,00,000	—	2844,26,00,000	
20.	रक्षा सेवा-वायुसेना	1040,21,00,000	—	5201,02,00,000	—
21.	रक्षा आयुध निर्माणियां	750,00,00,000	—	24,28,00,000	—
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	2037,05,00,000	—	10185,27,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय				
23.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	132,14,00,000	2,26,00,000	665,79,00,000	11,29,00,000
	विदेश मंत्रालय				
24.	विदेश मंत्रालय	372,12,00,000	44,84,00,000	1568,30,00,000	224,18,00,000
	वित्त मंत्रालय				
25.	आर्थिक कार्य विभाग	147,25,00,000	24,28,00,000	736,25,00,000	121,38,00,000

1	2	3		4	
26.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	161,61,00,000	95,08,00,000	808,05,00,000	475,42,00,000
27.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	49,66,00,000	1126,63,00,000	248,27,00,000	5633,14,00,000
29.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	2613,51,00,000	29,17,00,000	12017,53,00,000	145,83,00,000
30.	सरकार कर्मचारियों आदि को ऋण	—	300,00,00,000	—	200,00,00,000
32.	व्यय विभाग	3,64,00,000	67,00,000	1821,00,000	333,00,000
33.	पेंशन	465,87,00,000	—	2329,34,00,000	—
34.	लेखा परीक्षा	131,54,00,000	1,48,00,000	657,68,00,000	740,00,000
35.	राजस्व विभाग	165,69,00,000	33,00,000	168,47,00,000	1,64,00,000
36.	प्रत्यक्ष कर	142,61,00,000	27,50,00,000	713,04,00,000	137,50,00,000
37.	अप्रत्यक्ष कर	176,00,00,000	44,74,00,000	880,01,00,000	223,71,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	6,78,00,000	1,83,00,000	33,88,00,000	9,17,00,000
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				
39.	स्वास्थ्य विभाग	336,25,00,000	71,95,00,000	1681,24,00,000	359,73,00,000
40.	भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी विभाग	16,33,00,000	1,00,000	81,62,00,000	—
41.	परिवार कल्याण विभाग	567,98,00,000	3,00,000	2839,92,00,000	17,00,000
	गृह विभाग				
42.	गृह मंत्रालय	87,38,00,000	3,10,00,000	436,92,00,000	15,50,00,000
43.	मंत्रिमंडल	19,12,00,000	4,17,00,000	95,61,00,000	20,83,00,000
44.	पुलिस	1062,70,00,000	87,39,00,000	5313,50,00,000	436,96,00,000
45.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	111,86,00,000	43,36,00,000	559,32,00,000	216,80,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	66,97,00,000	54,53,00,000	334,82,00,000	272,64,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
47.	शिक्षा विभाग	1322,79,00,000	1,00,000	6613,93,00,000	1,00,000
48.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	37,71,00,000	64,00,000	188,52,00,000	3,22,00,000
49.	संस्कृति विभाग	60,42,00,000	—	297,99,00,000	—
50.	महिला और बाल विकास विभाग	339,77,00,000	—	1031,86,00,000	20,00,000
	उद्योग मंत्रालय				
51.	औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	65,16,00,000	3,00,000	325,79,00,000	17,00,000
52.	सरकारी उद्यम विभाग	71,00,000	—	3,56,00,000	—
53.	भारी उद्योग विभाग	7,07,00,000	394,48,00,000	35,32,00,000	177,46,00,000

1	2	3		4	
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	119,46,00,000	45,97,00,000	597,29,00,000	229,86,00,000
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय				
55.	सूचना, फिल्म और प्रचार	35,52,00,000	2,19,00,000	177,57,00,000	10,95,00,000
56.	प्रसारण सेवाएं	32110,00,000	67,63,00,000	1605,50,00,000	338,17,00,000
	श्रम मंत्रालय				
57.	श्रम मंत्रालय	154,55,00,000	26,00,000	772,74,00,000	1,28,00,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय				
58.	विधि और न्याय	35,94,00,000	—	179,70,00,000	—
59.	चुनाव आयोग	1,54,00,000	—	7,67,00,000	—
61.	कम्पनी कार्य विभाग	5,35,00,000	5,00,000	26,75,00,000	25,00,000
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
62.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	44,67,00,000	15,05,00,000	223,36,00,000	75,24,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय				
63.	संसदीय कार्य मंत्रालय	80,00,000	—	4,02,00,000	—
	कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय				
64.	कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय	28,89,00,000	53,00,000	144,43,00,000	2,63,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
65.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,00,00,000	—	5,02,00,000	—
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
66.	योजना	25,96,00,000	13,52,00,000	129,81,00,000	67,58,00,000
67.	सांख्यिकी विभाग	22,42,00,000	2,10,00,000	112,08,00,000	10,51,00,000
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	1580,00,00,000	—	2,65,00,000	—
	विद्युत मंत्रालय				
69.	विद्युत मंत्रालय	170,35,00,000	495,40,00,000	851,74,00,000	2477,02,00,000
	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय				
70.	ग्रमीण विकास विभाग	460,95,00,000	—	2304,72,00,000	—
71.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	3488,00,00,000	50,00,00,000	3314,22,00,000	50,00,00,000
72.	बंजर भूमि विकास विभाग	16,88,00,000	—	84,38,00,000	—
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
73.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	103,11,00,000	6,43,00,000	515,53,00,000	32,17,00,000
74.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	145,83,00,000	92,00,000	669,13,00,000	4,58,00,000
75.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	20,01,00,000	1,00,000	100,05,00,000	4,00,000

1	2	3		4	
	इस्पात और खान मंत्रालय				
76.	इस्पात विभाग	1,56,00,000	2,34,00,000	7,81,00,000	11,72,00,000
77.	खान विभाग	49,59,00,000	24,15,00,000	247,97,00,000	120,73,00,000
	भूतल परिवहन मंत्रालय				
78.	भूतल परिवहन	11,57,00,000	2,77,00,000	57,86,00,000	13,83,00,000
79.	सड़कें	214,04,00,000	404,22,00,000	1070,20,00,000	2021,08,00,000
80.	पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	74,14,00,000	101,14,00,000	370,70,00,000	505,70,00,000
	वस्त्रोद्योग मंत्रालय				
81.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	71,46,00,000	96,34,00,000	357,31,00,000	481,72,00,000
	पर्यटन मंत्रालय				
82.	पर्यटन मंत्रालय	27,11,00,000	3,67,00,000	135,53,00,000	18,33,00,000
	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय				
83.	शहरी विकास	81,67,00,000	85,68,00,000	408,32,00,000	428,40,00,000
84.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	34,05,00,000	26,67,00,000	170,27,00,000	133,33,00,000
85.	लोक निर्माण कार्य	93,77,00,000	41,16,00,000	468,83,00,000	205,80,00,000
86.	लेखन सामग्री और मुद्रण	26,65,00,000	71,00,000	133,26,00,000	3,54,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय				
87.	जल संसाधन मंत्रालय	89,59,00,000	5,88,00,000	447,94,00,000	29,42,00,000
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय				
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	183,12,00,000	36,50,00,000	915,57,00,000	182,52,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
89.	परमाणु ऊर्जा	214,98,00,000	143,82,00,000	1074,92,00,000	719,12,00,000
90.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	239,23,00,000	158,33,00,000	1196,14,00,000	791,66,00,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग				
91.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	33,43,00,000	1,66,00,000	167,15,00,000	8,28,00,000
	महासागर विकास विभाग				
92.	महासागर विकास विभाग	18,23,00,000	25,00,000	91,15,00,000	1,25,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग				
93.	अन्तरिक्ष विभाग	313,97,00,000	64,31,00,000	1059,83,00,000	321,54,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय				
95.	राज्य सभा	7,48,00,000	—	37,40,00,000	—
96.	लोक सभा	16,24,00,000	—	81,20,00,000	-
98.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	16,00,000	—	80,00,000	—

1	2	3		4	
	विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र				
99.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	82,01,00,000	36,77,00,000	410,04,00,000	183,83,00,000
100.	चंडीगढ़	102,84,00,000	14,63,00,000	514,17,00,000	73,17,00,000
101.	दादरा और नगर हवेली	32,87,00,000	5,30,00,000	164,35,00,000	26,51,00,000
102.	दमन और दीव	30,56,00,000	4,28,00,000	152,81,00,000	21,41,00,000
103.	लक्षद्वीप	26,81,00,000	4,14,00,000	134,02,00,000	20,72,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	36623,75,00,000	8758,47,00,000	142239,23,00,000	40497,41,00,000

पूर्वाह्न 11.30 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.33 बजे

वित्त विधेयक, 1999

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 22.·.99 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 139 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 139 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पिछली रात 13 दलितों की हत्या हुई है। बिहार में आए दिन सामूहिक हत्याओं का दौर जारी है। कोई ऐसा महीना नहीं है जिस में सौ से ऊपर हरिजनों, दलितों और पिछड़ी जातियों के लोग न मारे जाते हों। बिहार में इस तरह की कुव्यवस्था और जंगल राज कायम है। हर महीने, हर सप्ताह सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। महोदय, कोई ऐसा दिन और महीना नहीं बीतता है जिस में सैंकड़ों की संख्या में थोक में लोग न मारे जा रहे हों। यह दलितों की हत्या का सवाल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार का यही एजेंडा है कि दलितों की निर्मूल हत्या करायी जाए।...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, इसलिए इसकी सदन में चर्चा करानी चाहिए। बिहार में हत्याएं करवाने वाली सरकार कायम है। थोक में हत्याएं कराने वाले उग्रवादी संगठनों को बिहार सरकार का खुला समर्थन प्राप्त है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०—48/10/24/99 (एन०)
220

©1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।